

ऐक,

राधार्यो लिंग

विश्वा निदेश

3060 शासन।

संघा दी.

विदेशक,

भाज्य नगरीय विकास अंगठीरण,

3060, लखनऊ।

नगरीय राज्यगार एवं गरीबी

उन्मुक्त वार्षिक विभाग।

विषय:- शहरी ग्रामों के लिये अन्पसंधक बाहुल्य वस्तियों तथा नगरीय मण्डिन वस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 से रिलोकेशन आवासों को 01 परियोजना की वित्तीय स्थीरता।

महेदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1805/190/10/छ./विविध/आसरा/तकनीकी (सोनभद्र-चुर्क-गुर्मा-120) दिनांक 30 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अन्पसंधक बाहुल्य वस्तियों तथा नगरीय मण्डिन वस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 से जनपद-सोनभद्र की निकाय-चुर्क-गुर्मा- की 49 रिलोकेशन आवासों को 01 परियोजना हेतु रु 231.14 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्थीरता सहित तात्त्विका के स्तम्भ-7 में अंकित प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि रु 115.57 लाख (रुपये एक करोड़ पचास हजार लाख सत्तावन हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिवर्ण्यों के अधीन सहर्य स्थीरता प्रदान करते हैं:-

(एनराशी लाख रुपये में)

क्रम संख्या	जनपद/ निकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या।	अवस्थागता सुविधाओं सहित परियोजना की कुल आवासीय लागत।	सामान्य वर्ग के लाभार्थीयों परियोजना की कुल आवासीय लागत।	सामान्य वर्ग के सामाजिकों अवस्थागता सुविधाओं सहित परियोजना की कुल आवासीय लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्थीरत की जाए बाली धनराशि (सेवा एवं वार्जन एवं सेवा सेवा सहित।)
1	2	3	4	5	6	7
1	सोनभद्र/ चुर्क-गुर्मा	120	566.05	49	231.14	115.57
	योग			49	231.14	115.57

(रुपये एक करोड़ पचास हजार लाख सत्तावन हजार मात्र)

- उक्त धनराशि का द्वय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या 1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णाङ्गण अनुपावन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
- प्रस्ताव कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय इकात्पुस्तिका छान्ड-6 के अध्याय-12 के प्रत्येक स्तर से तकनीकी रसीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा स्तर से तकनीकी रसीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। -2/-

- प्रायोजन का निर्णय दर्शक पालन काम में एवं मानविकी के आवश्यकताओं हा। स्थानीय विभागों परिवर्तन समिति अधिकारी, से जीवन की जीवन जायेगा। इस ही नियमानुसार उपलब्ध दैध्यों का प्राप्तिकरण एवं एकीदरणों विवरण का प्राप्त करने के उपलब्ध हो जिसका लिया जाएगा।
- उक्त प्रायोजन शासन/प्रायोजन समिति एवं मुख्यमंत्री प्रभाग/राज्य सभा के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रारंभिक शर्तों के अधीन उपर्युक्त अनुसार निवेदित मद भी व्यवहार की जायेगी। योजनावर्तीत परियोजना और मानवीकृती की बहुकाल, मानविक एवं मानवीकी के लिये प्रकार वा परिवर्तन अनुभव्य नहीं होगा।
- उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत यों जा रहे हैं, उसके व्यवहार की व्यवहार की उसी कार्य/मद में किया जाय। समग्री/उपकरणों का कदम वित्तीय विषयों के अनुसार किया जायेगा। परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता दें। सभी ऐसे कार्यों जारी रखें एवं लियो प्रभार का कास्ट एस्केलेशन अनुमत्य नहीं होगा।
- सूचा/इडा द्वारा वह सुनिश्चित किया जायगा कि वोकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में सज्ज सम्बन्ध अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में समिलित है। उक्त वोकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की दिग्गजता/पुनरावृत्ति न हो इसे सूचा/इडा द्वारा आपो स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
- प्रायोजनावर्तीत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य व्यवहार, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में बढ़ि एवं अन्य विविहियों इस्तेवाल करना इच्छित, व्यवहारित समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये जिता जहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यालयी संस्था हारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत विज्ञान/शास्त्र विज्ञानों सम्बन्धीय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यवहार वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाता जो वोकृत होणा अन्यथा वाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
- निर्माण कार्य आरंभ वरने के पूर्व इन सीदू आवासों के भू-स्थानिकों के भू-स्थानिक्त्व का संत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
- सूचा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यवहारित समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनावर्तीत आवासों के निर्माण से सम्बन्धित व्यवहारोंका वे उन्नतार ही आवास बनाये जाय व व्यवहारित समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
- उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आवास के वर्तनात् राज्य व्यवहार विकास अभियान व सम्बलित इडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवारों का सवाल सतरीय विशेषण करकर गुणवत्ता आदि विवरों सहित व्यापारिक योजना विवरों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बलित इडा/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगी।
- उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, 3030, लखनऊ द्वारा प्रमुख संविधान/संधिय अथवा विशेष संविधान, नगरीय रोजगार एवं मरीची उन्नगूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिरक्षित विवरणोंपरन्तु किया जायेगा।
- प्रायोक आहरण की सचिना महानीयावान (राज्यविषय), नगरीयमानकार (विभाग), 3030, लखनऊ द्वारा आदेश की प्रति के साथ व्यवहार का जाम, बाकुचर संडेश, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक चर्च के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

13. स्वीकृत भनराशि कोपानार से आहरित कर बैंक/टाक्कर/डिपोजिट खाते व योग्यतांक में उठे जाएंगे। स्वीकृत की जा रही घटराशि का कोपानार से आहरण राज्य सरकार द्वारा लिखित रूपी के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा लिखित रूपी के अनुमति भी सहित होना चाहिए। प्रश्नबद्ध आहरण/अनुमति के पूर्व याचनियम केवल ये राज्य के करों की स्वीत के दावक सहवासी अंतिमार्य विधिक प्रतिवेदी के अनुपालन वा इयाज रखा जायेगा।
14. इस घटराशि का उत्तरोंग चालू घित्तीय वर्ष 2015-16 में याचन करने वर्तमान अवधि का लिया जाना योजनावलीन प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत उक्त घटराशि की 75 प्रतिशत भनराशि व्यव हो जाता है। प्रधात तथा उत्तरोंग सापेक्ष अंतिम प्राप्ति/गुणवत्ता से संतुष्ट होने के पश्चात उपरोक्ता प्रभाव वा शासन को समर से उपलब्ध कराया जायेगा। तदोपरान्त योजना की अवधि/दिलीय किश्त की घटराशि अद्यमुक्त की जाएगी। लिखित अवधि के बाद अनुपरोक्त घटराशि दर्दि कोइ हो, तो एकत्रुत शासन को वापस करनी होगी।
15. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०४०, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर आप्ते लेख या मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेख से भव्य करायेंगे।
16. परियोजना से सन्विधित लिर्माण इकाई से यथावदवस्था घटराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुकूल (एम०पी०य०) लिखादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सन्विधित दूटा को लिखित किया जायेगा।
2. उपरोक्त घटराशि का दावा चालू घित्तीय वर्ष 2015-16 के आय दावाक में अनुदान संख्या-३/ वे अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूँजीगत घरियाय-आयोजनागत ०२-शहरी आवास-८००-अन्य दावा-०३-आवास योजना (आवासीय अव्यन)-२४-सूहद लिर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश घित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-२/२०१५/दी-१-९२५/दस-२०१५-२३१/२०१५, दिनांक ३०.०३.२०१५ व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

क्षेत्रीय  
१५१२  
(एच०पी० सिंह)  
विशेष सांदेश।

संख्या-१६६/२०१५/१८९८(१)/६९-१-१५, तदिनांक।

प्रतिलिपि लिखितिकृत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालय हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), पर्याम, उत्तर प्रदेश, २० सरोजनी नगर, इयाहादाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०४०, छठवां तल, संगम प्रदेश, लिदिल लालन, इयाहाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सोनभद्रा।
5. वित्त (छाया-नियंत्रण) अनुभाग-४, उत्तर प्रदेश शासन।
6. नियोजन अनुभाग-४, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जयाहाद भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. सहायक वैद्य मास्टर, सूडा को विभागीय वैद्य साइड पर आपसोड कराने हेतु।
10. गाँड़ फाइल/कम्प्यूटर सहायक/घञ्ट सम्बन्धिक।

माना है,

(एच०पी० सिंह)  
दिशेष सचिव।